ईमेल/स्पीड पोस्ट से,

मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल,

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अध्याय 5 अन्तर्गत,म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग,मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्र.**F.6-12/98/A-XI,** दिनांक 10.01.2007 से एवं माध्यस्थम और सूलह अधिनियम 1996 (1996 का संख्यांक 26) के सुसंगत कृत्यों के पालन हेतु गठित।)

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश।

विन्ध्याचल भवन, भोपाल

जावक क्रमांक 676–80
भोपाल, दिनांक 02/09/ 2020

प्रकरण क्रमांक एम.एस.ई.एफ.सी/723/2017

आवेदकः–
M/s A. K. Motors,
194, Transport Nagar, Main Road,
Indore 452 001 (M.P)

विरूद्ध अनावेदकगणः–

1- M/s Transstroy (INDIA) Ltd.,
D. No. 8-14-28, Tobacco Colony,
Guntur, - 522 001 (A.P.)

2- M/s Transstroy (INDIA) Ltd.,
ADM/ACC Office, 8-2-293-82/A/61/1
P No. 60 & 61, AR No. 1 & 5, Jubilee Hills,
Coop. Housing Building Society Ltd.,
Hyderabad – 500 033 (A.P.)

3- M/s Transstroy (INDIA) Ltd.,
Shri Harish Rao, Director,
ADM/ACC Office, 8-2-293-82/A/61/1
P No. 60 & 61, AR No. 1 & 5, Jubilee Hills,
Coop. Housing Building Society Ltd.,
Hyderabad – 500 033 (A.P.)

4- M/s Transstroy (INDIA) Ltd.,
Shri Vara Prasad, Site Incharge,
ADM/ACC Office, 8-2-293-82/A/61/1
P No. 60 & 61, AR No. 1 & 5, Jubilee Hills,
Coop. Housing Building Society Ltd.,
Hyderabad – 500 033 (A.P.)

अन्तिम सुनवाई दिनांक 25.08.2020
माध्यस्थम आदेश दिनांक 02-09-.2020

आवेदक ने दिनांक 01.11.2016 को इस काउन्सिल के समक्ष, उपरोक्त अनावेदकगणों के विरूद्ध मूलधन राशि रू. 29,31,672/– एवं दिनांक 30.09.2016 तक की संगणित ब्याज राशि रू. 6,12,047/– कुल दावा राशि रू. 35,43,719/– का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

काउन्सिल द्वारा अनावेदक को उत्तर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस क्रमांक 1736–1740, दिनांक 16.11.2017 जारी किया गया एवं प्रकरण दिनांक 16.02.2017, 27.05.2017, 28.04.2018, एवं दिनांक 25.08.2020 को प्रकरण सुनवाई/सुलह हेतु नियत किया गया।

.....2

2/9/20

अन्तिम सुनवाई दिनांक 25.08.2020 को आवेदक ने सुनवाई में काउन्सिल को दुरभाष पर अवगत कराया कि प्रकरण एन.सी.एल.टी. द्वारा एन्सॉल्वेंसी की प्रक्रिया में लिए जाने के कारण अग्रिम सुनवाई हेतु योग्य नही है। अतः आवेदक अपना दावा वापिस लेता है।

काउन्सिल ने आवेदक के कथन को मान्य करते हुए, दावा आवेदन खारिज करने का निर्णय पारित किया।

अतएव, "म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017" के नियम–9 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रकरण में उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा अपना दावा वापिस लिये जाने से, एतद् द्वारा प्रकरण खारिज किया जाता है।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(विवेक पोरवाल)
अध्यक्ष
म.प्र.सूक्ष्म और लघु उद्यम
फेसिलिटेशन काउन्सिल एवं
उद्योग आयुक्त,
मध्यप्रदेश, भोपाल।

2/9/20

(सी. मिंज)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक ~~प्रबंधक~~, संचालक
एमएसएमई विकास संस्थान, भोपाल।

(जी. एस. सरमा)
शासकीय सदस्य,
म.प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम
सुविधा परिषद, भोपाल एवं
सहायक प्रबंधक,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भोपाल।